मुसलमानों की समस्याएं, सरकार की अनदेखीः हमारी कारगुज़ारी और हमारा वोट

डा. सैयद ज़फ़र महमूद

मुसलमानों को लगातार नीचा दिखाने के एजेण्डे के अन्तर्गत आज के पश्चिमी जगत ने एक नई शब्दावली घडी है: "जिहादिज़्म"। यानि जिहाद में विश्वास रखना और उसे क्रियान्वित करना । मानो जिहाद जैसे कोई बुराई है और इस से दुनिया को नुक़सान पहुंच रहा है। अगर कुछ अति संवेदनशील किन्तु अप्रशिक्षित मुस्लिम नौजवान दुनिया में मुसलमानों के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार से कुंठित होकर प्रतिक्रिया के रुप में नुक़सान पहुंचाने वाली कुछ घटनाओं को अंजाम देने में शामिल हुए हैं तो इसे "इस्लामी आतंकवाद" या जिहादिज़्म कह कर मज़हब को निशाना बनाने की कोई तुक नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह जनरल रेटको मिलाडिक ने स्रेब्रेनिका (यूगो सलाविया) में 7500 मुसलमानों का क़त्लेआम कराया (केवल सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार) या नाथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मार कर हत्या की लेकिन इन अमानवीय कृत्यों को इन पापियों के धर्म से नहीं जोडा गया। लेकिन मुसलमानों के सम्बंध में पिछले 20, 25 साल से जिहाद और जिहादिज़्म के शब्दों का स्तेमाल करके एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैः मुसलमान भी बदनाम और उनके धर्म इस्लाम का भी अपमान। इस तरह से तैयार की हुई पिच पर खेल कर मुस्लिम देशों के तेल के भण्डारों पर बर्चस्व स्थापित करना आसान हो जाता है। अफ़सोस की बात है भारतीय मीडिया भी इसी दुष्प्रचार का माध्यम बना हुआ है।

दूसरी तरफ़ उग्रवाद की घटनाओं से निपटने के लिए सारा ज़ोर इस बात पर है कि जब घटना घट जाए तो क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में ख़बर आई है कि दिमाग़ी एंव मानसिक स्वास्थ से सम्बंधित साइंस की संस्था नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ़ मेण्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज़ अब उग्रवादियों से पूछताछ के लिए सीबीआई के अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी। किसी घटना के बाद उसकी जांच में निश्चित रूप से कोई कमी नहीं छोडनी चाहिए और अपराध सिद्ध हो जाने के बाद अपराधियों को पर्याप्त दण्ड भी दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यह जांच करना भी ज़रूरी है कि आज से 25 साल पहले पैदा होने वाला जो बच्चा उस समय उग्रवाद की प्रवृत्ति लिए हुए नहीं था उसके जीवन काल की आज तक कि अवधि में उसके मस्तिष्क पर पडने वाले वो कौन से दबाव हैं जिनके प्रभाव से वह उग्रवादी हो गया और अपनी जान को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया। दुनिया के विभिन्न देशों में होने वाली घटनाओं मे लिप्त लोगों के मानसिक परीक्षण से जब यह जानकारियां उपलब्ध हो जाएं तो उन्हें एकत्र करके और उनका विश्लेषण करके यह तय किया जाए कि संबन्धित देशों की नीतियों में क्या बदलाव किए जाएं कि जिस से उग्रवाद के रुजहान को रोका जा सके। अगर एसा नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि डाक्टर

जांच करके बीमारी की जङ तक पहुंचना ही नहीं चाहता बल्कि केवल उपरी मल्लम पट्टी करके घाव को छिपा देना चाहता है क्यूंकि इसी में उसका फ़ायदा निहित है।

इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि 2005-2009 की अवधि में सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन के द्वारा मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक एंव सामाजिक बदहाली सरकारी रूप से सिद्ध हो जाने के बावजूद इन रिपोर्टों के सुझावों को वर्तमान सरकार ने 2009-2013 की अवधि में दरकिनार करके केवल कुछ कम महत्व वाले मुद्दों पर ही थोङा सा ध्यान दिया और इस तरह मुसलमानों के घावों को भरने के बजाए उन पर नमक छिङकने का काम किया है। इन सुझावों के सन्दर्भ में सरकार की अनदेखी के निम्नलिखित बिन्दु हैःमुसलमानों की अधिसंख्या वाले उन चुनाव क्षेत्रों को जिन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, आरक्षण से मुक्त कराने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन न गठित किया जाना; अनुसूचित जाति की परिभाषा को धर्ममुक्त कराने के लिए संसद में प्रस्ताव न लाना; वक़्फ़ अधिनियम में सच्चर कमेटी व संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिशों को शामिल न करना; वक़्फ़ सम्पत्तियों पर से सरकार के नाजायज़ कब्ज़ें न हटाना; इण्डियन वक़्फ़ सर्विस गठित न करना; महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति न बनाना; मुस्लिम क्षेत्रों में विकास योजनाओं एंव उनके क्रियान्वन के लिए ज़िलों के बजाए वार्डों व गांवों को इकाई न बनाना; अल्पसंख्यकों के लिए किये जाने वाले आरक्षण में मुसलमानों का दो तिहाई आरक्षण सुनिश्चित न करना; बजट में अनुसूचित जाति की तरह मुसलमानों के लिए विशेष आवंटन का प्रावधान न करना; आतंकवाद के आरोप में गिरफ़्तार लोगों पर मुक़दमों के जल्द निपटारे के लिए फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट गठित न करना; अदालत द्वारा निर्दोष ठहराए गए एंव आतंकवाद के आरोप से बरी किए गए लोगों को भरपाई के लिए 50 लाख रुप प्रति व्यक्ति देने की मांग को स्वीकार न किया जाना; बैंकों को ब्याज़ रहित लेन-देन की अनुमति देने सम्बंधी रघुराम राजन कमेटी के सुझावों कोे न मानना आदि। सरकार को चाहिए कि इन सभी मुद्दों पर तुरन्त आदेश जारी करे ताकि भारतीय मुसलमानों विशेषकर युवाओं को संतोष हो कि उनके साथ न्याय पूर्ण और समानता का व्यवहार किया जा रहा है।

अगर मुसलमानों की वक़्फ़ सम्पत्तियों का मामला सरकार से नहीं संभल रहा है तो उसे इस ज़िम्मेदारी से स्वंय को मुक्त कर लेना चाहिए जिस तरह ईसाइयों और सिखों के धार्मिक मामलों में सरकार की दख़ल अन्दाज़ी लगभग मना है। वक्फ़ के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का औचित्य केवल यह बनता है कि शासन का संवैधानिक चरित्र लोक कल्याण पर आधारित है। लेकिन वक़्फ़ के मामलों में सरकार के लगातार हस्तक्षेप से वक़्फ़ सम्पत्तियों और

मुसलमानों को नुक़सान पहुंच रहा है इस लिए सिखों एंव ईसाइयों वाला मॉडल ही शायद वक़्फ़ के लिए भी उचित है। इस मुद्दे पर मुसलमानों को विचार करना चाहिए।

संसद द्वारा 2009 में पारित बच्चों की मुफ़्त एंव अनिवार्य शिक्षा के क़ानून की धारा 12 में स्कूलों को पाबन्द किया गया है कि शैक्षिक रूप से पीछे रहने वाले वर्गों से सम्बंधित बच्चों को मुफ़्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस तरह इन बच्चों का शिक्षा में स्वचालित रूप से आरक्षण हो गया। हालांकि सच्चर समिति ने दस्तावेज़ी रूप में सिद्ध कर दिया है कि शैक्षिक मैदान में भी मुसलमान अनुसूचित जाति से पीछे हैं। लेकिन मुफ़्त शिक्षा से लाभान्वित होने के पात्र बच्चे की परिभाषा में अनुसूचित जाति का उल्लेख तो है पर मुसलमान का उल्लेख नहीं है। हां यह गुंजाइश छोडी गयी है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य रूप से पिछडे पन के आधार पर इस परिभाषा में किसी भी वर्ग को शामिल कर सकती है। इसलिए अति आवश्यक है कि मानव संसधन विकास मंत्रालय तुरन्त एक आदेश जारी करके इस परिभाषा में मुसलमानों को भी स्पष्ट रूप से शामिल करे।

अफ़सोस की बात है कि मुसलमानों के इन मुद्दों की तरफ़ बहुत कम लोगों का ध्यान है और मुसलमानों की बडी तादाद अपने व्यक्तिगत धंधों में ही लगी हुई है। मिल्लत की समस्याओं को गहराई से समझना और ज़ोरदार ढंग से उन्हें उठाना बहुत कम लोगों की तरजीह में शामिल है। यह बात सरकार भी ख़ूब अच्छी तरह समझती है और यह भी जानती है कि मुसलमानों ने अपनी असिल समस्याओं को अभी तक वोट से नहीं जोडा है। लेकिन इस बार हमें सरकार की इस सोच पर चोट लगानी होगी। हमें उसे यह जता देना होगा कि हम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम की मिल्लत हैं और इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं। हमें जितनी चिंता आज की अपनी समस्याओं को हल करने की है उतनी ही चिंता हमें अपनी 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी के कल्याण की भी है।

हमें इसके लिए अपने स्तर से बस यह करना होगा कि मिल्लत के बारे में अपनी सोच और अपनी चिंता को अपनी तरजीह के बाहरी दायरे के बजाए भीतरी दायरे के केन्द्र में रखना होगा। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि हर आदमी के अन्दर ख़ुदी की जो चिंगारी है उसे अगर गोश्त-पोस्त के गहरे अन्धकार वाले परदों के पीछे छिपाकर रखा जाए तो आदमी की रूहानी शक्ति कमज़ोर पड जाती है। अल्लाह पाक एसे मोमिन की तरफ़ से अपना ध्यान हटा लेता है जो अपनी रूह को मिल्लत के प्रति संवेदनशील, सचेत और सक्रिय बना कर न रखे।